



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

[प्रेस विज्ञप्ति](#)

[दिनांक 28.03.2024](#)

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध देशी शराब बरामद:-

दिनांक 28.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाए जा रहे अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 44 पाउच देशी शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. अर्जुन पुत्र अजब सिंह निवासी मौहल्ला जवाहरनगर कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 44 पाउच देशी शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री विक्रम सिंह भाटी थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2. है०का शौकीन राणा थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

3. है०का० विकास कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।



थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 03 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 60 लीटर देशी शराब बरामद:-

आज दिनांक 28.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाए जा रहे अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा भिन्न भिन्न कार्यवाही करते हुए 03 अभियुक्तों को अवैध 60 लीटर देशी शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.शेखर शर्मा पुत्र ओम प्रकाश निवासी ग्राम चन्देनामाल कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 2.अंकित पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम सोन्टा रसूलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 3.वेदपाल पुत्र महावीर सिंह निवासी ग्राम इस्माईलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.अवैध 60 लीटर देशी शराब (19ली0+21ली0+20ली0 उपरोक्त अभियुक्तगण)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 2.उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 3.उ0नि0 श्री श्योराज थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 4.है0का0 यशपाल थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 5.है0का0 मुदस्सिर थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 6.है0का0 दीपक कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 7.है0का0 प्रमोद कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 8.का0 संदीप कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 9.का0 मोहित कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।



थाना थानाभवन पर संचालित साइबर सेवा केन्द्र की त्वरित कार्यवाही से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पीडित के खाते से ट्रांसफर की गयी 91648/- रुपये की सम्पूर्ण धनराशि वापस करायी गयी ।

दिनांक 11.03.2024 को श्री साजिद मलिक पुत्र नूरहसन निवासी मौहल्ला शाहगाजीपुरा थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा शिकायत की गयी थी कि उनके HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 91,648/- रुपये की धनराशि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रांसफर कर ली गयी थी ।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के निर्देशन में साइबर सेवा केन्द्र थाना थानाभवन द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए पीडित के बैंक खाते से ट्रांसफर की गयी सम्पूर्ण धनराशि 91,648/- पीडित के खाते में वापस करायी गयी । वादी श्री साजिद मलिक द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक शामली, साइबर सेवा केन्द्र थाना थानाभवन का आभार व्यक्त किया है ।

साइबर सेवा केन्द्र थाना थानाभवन पुलिस टीम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली ।
- 2.निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा थाना थानाभवन जनपद शामली ।
- 3.क0आ0 अमरजीत सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली ।
- 4.क0आ0 सोनम राठी थाना थानाभवन जनपद शामली ।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध शामली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में जान से मारने की नीयत से फायर करने व अवैध हथियार के मामले में थाने के हिस्ट्रीशीटर सहित 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई 07-07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 45,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

वर्ष 1996 में अभियुक्तगण 1.विपिन पुत्र हरकिशन निवासी गुराना रोड थाना बडौत जनपद बागपत 2.हरेन्द्र पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम कान्जरहैडी थाना बाबरी जनपद शामली (हिस्ट्रीशीटर) के विरुद्ध मु0अ0सं0 96/2011 धारा 307/34 भादवि व अभियुक्त विपिन उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 99/2011 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त अभियोग में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे। *इसी क्रम में आज दिनांक 28.03.2024 को माननीय न्यायालय एडीजे-14 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्तगण विपिन, हरेन्द्र उपरोक्त को धारा 307 भादवि (हत्या का प्रयास) में 07-07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20,000-20,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदंड अदा न करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास तथा अभियुक्त विपिन उपरोक्त को धारा 25 आर्म्स एक्ट में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

- 1.विपिन पुत्र हरकिशन निवासी गुराना रोड थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2.हरेन्द्र पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम कान्जरहैडी थाना बाबरी जनपद शामली (हिस्ट्रीशीटर)।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते चोरी के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित भी किया गया:-

वर्ष 2020 में अभियुक्त सुशील पुत्र किरणपाल निवासी ग्राम काबड़ौत थाना कोतवाली जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 216/20 धारा 379,411 भादवि में थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 28.03.2024 को माननीय न्यायालय CJJD/FTC कैराना द्वारा अभियुक्त सुशील उपरोक्त को धारा 379/411 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि व 100/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 01 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.सुशील पुत्र किरणपाल निवासी ग्राम काबड़ौत थाना कोतवाली जनपद शामली।

लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत FST-03 (फ्लाइंग स्क्वायड टीम) द्वारा चैकिंग के दौरान कार चालक से 02 लाख 50 हजार रुपये बरामद:-

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निर्विघ्न, शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी शामली के द्वारा चैकिंग हेतु FST (फ्लाइंग स्क्वायड टीम) का गठन किया गया है।

उक्त क्रम में आज दिनांक 28.03.2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद शामली के निर्देशन में उड़न दस्ता टीम (FST-03 झिंझाना) द्वारा थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत करनाल बॉर्डर बिडौली चैक पोस्ट पर चैकिंग के दौरान एक एटिओस कार रजि0 न0-HR17B4566 की चैकिंग की गयी तो गाड़ी चालक आंशू राणा पुत्र कर्मवीर सिंह निवासी सलवान थाना असन्द जनपद करनाल (हरियाणा) की गाड़ी से 02 लाख 50 हजार रुपये रखे हुए मिले। उपरोक्त रूपयों के सम्बन्ध में गाड़ी चालक से दस्तावेज मांगे गये तो कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। बरामदगी के सम्बन्ध में आयकर विभाग को सूचना से अवगत कराते हुए थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गाड़ी चालक:-

1.आंशू राणा पुत्र कर्मवीर सिंह निवासी सलवान थाना असन्द जनपद करनाल (हरियाणा)

बरामदगी का विवरण:-

1-02 लाख 50 हजार रुपये नगद।

चैकिंग करने वाली फ्लाइंग स्क्वायड टीम:-

- 1.श्री सतीश चौरसिया (मजिस्ट्रेट) जिला पंचायत अधिकारी शामली।
- 2.उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
- 3.सौरव कुमार (वीडियोग्राफर) थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 4.का0 मोनू कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI